

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 3662] No. 3662] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 11, 2019/कार्तिक 20, 1941

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 11, 2019/KARTIKA 20, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2019

का.आ. 4075(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3440(अ), तारीख 12 जुलाई, 2018, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 13 जुलाई, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थी:

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, वल्लानाडू ब्लैकबक अभयारण्य थोथुकुडी वन संभाग के नियंत्रणाधीन थोथुकुडी जिला में एकमात्र रिज़र्व वन है। अभयारण्य का क्षेत्रफल 16.4121 वर्ग किलोमीटर या 1641.21 हेक्टेयर है। यह तिरुनेलवेली-थोथुकुडी राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित है। यह क्षेत्र जी.ओ. एमएस. सं. 1028 तारीख 28.9.1987 के अनुसार ब्लैकबक अभयारण्य घोषित किया गया था और तिमलनाडु सरकार के राजपत्र में 21 अक्टूबर 1987, और थोथुकुडी जिला के राजपत्र में 8 अगस्त 1996 में प्रकाशित किया गया:

और, ब्लैकबक एक संकटापन्न प्रजाति है और भारतीय उपमहाद्वीप के लिए स्थानिक है। विश्व संरक्षण संघ (आई यू सी एन) रेड डॉटा बुक के अनुसार, काला हिरण को वी यू (असुरक्षित) स्थिति में निर्धारित किया गया है। वल्लानाडू रिज़र्व वन उपमहाद्वीप में दक्षिणीतम स्थान है जहां काला हिरण स्वाभाविक रुप से उपलब्ध है जो यह दर्शाता है कि एक निश्चिंत

5844 GI/2019 (1)

स्तर पर इसके संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि विकास के दबाव को बनाए रखने के लिए आनुवांशिक रूप से संख्या कम होगी। वल्लानाडू रिज़र्व वन (पहाड़ी) का विशाल परिवेश काला हिरण के लिए एक पारंपरिक क्षेत्र है लेकिन अब पहाड़ी की ओर बढ़ता जा रहा हैं। काला हिरण अधिकांश समय में रिज़र्व वन के बजाए पूर्व की समीपवर्ती बंजर भूमि में रहते हैं;

और, काला हिरण जो पहले पश्चिमी दिशा पर देखा गया था, मवेशी दबाव के कारण नीचे आ गया है। अब ये पहाड़ी की पूर्वी अवस्थिति में और उत्तरी (उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व दिशा) भाग में अधिक देखे जाते हैं। रिज़र्व वन सघन और पहाड़ी है जिसमें चारे की उपलब्धता कम हो गई है। बंजर भूमि के आसपास के क्षेत्र में उनकी उपस्थिति के लिए बेहतर स्थान है क्योंकि वह अधिक खुले हैं और यह घास पट्टी और कुछ एक्सरोफाईट झाड़ियाँ हैं। परित्यक्त पत्थर की खदानों जलछिद्र रिज़र्व वन के बाहर का क्षेत्र पशुओं का लिए चारा और जल प्रदान करता है लेकिन काला हिरण के लिए छुपने का स्थान नहीं है। पूर्वी क्षेत्र की समीपवर्ती बंजर भूमि तीव्रता से घट रही है क्योंकि वह राजमार्ग के निकट निजी स्वामित्व की है। कृषि गैर-लाभदायक होने के कारण, आवासीय भूखंडों के रूप में तीव्रता से परिवर्तित हो रहा है;

और, अभयारण्य में वनस्पित और जीवजन्तुओं की विविधता है जिसमें पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी, उभयचर शामिल हैं। वनस्पित के कुछ उदाहरण वेल्वेल (अकािकया ल्यूकोसेफाला (रोक्सब.) वाइल्ड.), कुडाइवेल (अकािकया प्लािनफ्रन्स विइट एंड अर्न.), उस्लाई (अिल्बिज़िया अमारा (रोक्सब.) बी बाँविइन), थानेरिवट्टन किज़हुंग (एस्पैरागस रेसमोसस वाइल्ड.), कट्टू कानागंबरम (बरलेिरया प्रिओनाइटिस एल.) आदि हैं; जीवजंतु के कुछ उदाहरण ब्लैकबक (इंडियन एंटिलोप) (एंटिलोप किंकाप्रा), चित्तीदार हिरण (एक्सिस- एक्सिस), सांभर (कर्वस यूनिकोलर), सियार (कैनिस ऑरियस), भारतीय लोमड़ी (वल्प्स बेंगलेंसिस), जंगल बिल्ली (फेलिस चाँउस) आदि हैं; पक्षी के उदाहरण में व्हाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर (हैल्सीन स्मिरनेसिस), रेड-विहस्कीड बुलबुल (पायकोनोटुसोजोकोसस), पीफॉल (पावो क्रिस्टेटस), ग्रेटर कूकल (सेंट्रोपस सीनेन्सिस), भारतीय कूकू (क्यूकुलस माइक्रोप्रेटस), रेड-वेंटेड बुलबुल (पायकोनोटस कैफेर) आदि शामिल हैं; सरीसृप के उदाहरण में कोलेगेल ग्राउंड गेको (गेकोलोलाकोलेगलेसेन्सी), रॉक आगामा (साइमोफिलस डोरसिलस), रेट स्नेक (एलिफ एस्लोटेट), कोबरा (नजानाजा), रसेल वाइपर (दाबोआ रुसेली) आदि शामिल हैं;

और, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वल्लानाडू रिज़र्व वन में अधिकांश बंजर भूमि, उपनिवेश का छोटा भाग, कृषि भूमि का छोटा भाग और शेष भाग है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का 10% से कम क्षेत्र कृषि भूमि है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के छोटे क्षेत्रों में मानक पटाखे कारखाने का उद्योग है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन से परे शेष सभी क्षेत्र बंजर भूमि है, क्षेत्र की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तिमलनाडु राज्य में वल्लानाडू ब्लैकबक अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य (उत्तरी दिशा, एन एच 7ए के कारण) किलोमीटर से 2.00 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है), के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

- 1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**–(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार वल्लानाडू ब्लैकबक अभयारण्य के चारों ओर शून्य (उत्तरी दिशा, एन एच 7ए के कारण) किलोमीटर से 2.00 किलोमीटर तक है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 12.03 वर्ग किलोमीटर है।
- (2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध-।** के रूप में उपाबद्ध है।
- (3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमांकन करने वाले संरक्षित क्षेत्र के मानचित्र **उपाबंध–॥क-ङ** के रूप में उपाबद्ध है।
- ्(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू निर्देशांक **उपाबंध III** की **सारणी (क) और (ख)** में दी गई है।

- (5) मुख्य बिंदुओं के उनके भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में उपाबद्ध है।
- 2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना— (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अविध के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।
- (2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।
- (3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थातु:-
 - (i) पर्यावरण;
 - (ii) वन और वन्यजीव;
 - (iii) कृषि;
 - (iv) राजस्व;
 - (v) नगर विकास;
 - (vi) पर्यटन:
 - (vii) ग्रामीण विकास;
 - (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
 - (ix) नगरपालिका;
 - (x) पंचायती राज;
 - (xi) लोक निर्माण विभाग;
 - (xii) राजमार्ग: और
 - (xiii) तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
- (4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी।
- (5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, जल संभर प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।
- (6) आंचिलक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानिचत्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

- (7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।
- (8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी।
- (9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटर समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।
- 3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-
- (1) **भू-उपयोग**.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलेत है; और
- (v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

- (2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.** आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/निदयों/जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।
- (3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा;
- (ख) पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी;
- (ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी;
- (घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।
- (ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे:-
- (i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और सैरगाह के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

- (ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी-पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;
- (iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।
- (4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।
- (5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।
- (6) **ध्विन प्रदूषण.** राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या तिमलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अधीन बने नियम, 2000 ध्विन प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) और उसके संशोधनों के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को लागू करेगा।
- (7) **वायु प्रदूषण.** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

- (8) **बहिस्नाव का निस्सारण.** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्नाव का निस्सारण, साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।
- (9) ठोस अपशिष्ट.- ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपिशष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित ठोस अपिशष्ट प्रबंधन नियम, 2016, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकुल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।
- (10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343(अ), तारीख 28 मार्च, 2016, द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।
- (11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016, द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016, द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, समय-समय पर यथासंशोधित, प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (14) **यानीय यातायात.** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (15) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएगे।
- (16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए प्रदूषण करने वाले उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात नहीं की जाएंगी;

- (ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- (17) पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-
- (क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;
- (ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सिहत उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सिहत अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	वर्णन
(1)	(2)	(3)
	ক. স	तिषिद्ध क्रियाकलाप
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत
	अपघर्षण इकाईयां ।	खनिज), पत्थर की खानें और उनकों तोड़ने की इकाइयां वास्तविक
		स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग
		के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना
		और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना
		भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होगी।
		(ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका
		(सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम
		भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट
		याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ
		के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में
		प्रचालित होंगी ।
2.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों
		का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि)	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान
	उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी:
		परन्तु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी
		मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि

क्रम सं.	क्रियाकलाप	वर्णन
(1)	(2)	(3)
		अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के
		भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके
		अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
4.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्नाव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
		नियमित क्रियाकलाप
8.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:
		परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या
		पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो,
		किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:
		(ख) परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 6 के उप पैरा (1) में
		सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में
		भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी,
		जैसे:-
		परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण
		क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।
		(ग) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।

क्रम सं.	क्रियाकलाप	वर्णन
(1)	(2)	(3)
10.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना
		वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।
		(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।
11.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्नाव के निस्सारण
	उपचारित बहिर्स्नाव का निस्तारण ।	से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और
		पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे, अन्यथा लागू विधियों के
		अनुसार उपचारित बहिर्ह्माव के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
12.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
	जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर,	
	ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर	
	से उड़ना।	
13.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
14.	कृषि प्रणालियों में कठोर परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
15.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
16.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
17.	बिजली के तारों का निर्माण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
18.	होटल और लॉज के परिसर की बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
19.	पोलिथीन थैलों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
20.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
21.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	वायु और वाहन प्रदूषणः	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
		संवर्धित क्रियाकलाप
24.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी ।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा।
25.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
26.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
27.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

क्रम सं.	क्रियाकलाप	वर्णन
(1)	(2)	(3)
28.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
29.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात:-

1.	जिला कलेक्टर, थूथुकुडी	अध्यक्ष;
2.	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
3.	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
4.	पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य;
5.	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
6.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
7.	जिला अधिकारी, थूथुकुडी	सदस्य सचिव।

- 6. निर्देश-निबंधन:- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और बाद में मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
- (3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सिम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी सिमिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

- (5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध V** के अनुसार प्रोफार्मा उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।
- 7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
- **8.** इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/17/2018-ईएसजेड]


डॉ. सतीश चन्द्र, गढ़कोटी वैज्ञानिक 'जी'

<u>उपाबंध- I</u>

संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन


उत्तर	सीमा मुरुगनपुरम ग्राम एनएच 7 ए पेट्टा लैंड्स से आरंभ होती है।
उत्तर पूर्व	सीमा किलावल्लनाडू ग्राम पेट्टा लैंड्स से आरंभ होती है।
पूर्व	सीमा पदमाबमंगलम ग्राम पेट्टा लैंड्स से आरंभ होती है।
दक्षिण पूर्व	सीमा पदमाबमंगलम ग्राम पेट्टा लैंड्स से आरंभ होती है।
दक्षिण	सीमा पदमाबमंगलम ग्राम पेट्टा लैंड्स से आरंभ होती है।
दक्षिण पश्चिम	वल्लनाडू रिज़र्व वन।
पश्चिम	सीमा वल्लाडू रिज़र्व वन मनाकराई ग्राम पेट्टा लैंड्स से आरंभ होती है।
उत्तर पश्चिम	सीमा वल्लाडू कस्बा ग्राम पेट्टा लैंड्स से आरंभ होती है।

उपाबंध- IIक वल्लानाडू ब्लैकबक अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र




<u>उपाबंध- IIख</u>

वल्लानाडू ब्लैकबक अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र




<u>उपाबंध- IIग</u>

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) की टोपोशीट पर वल्लानाडू ब्लैकबक अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी का मानचित्र




<u>उपाबंध- IIघ</u>

10 किलोमीटर बफर क्षेत्र के साथ वल्लानाडू ब्लैकबक अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भू-उपयोग मानचित्र



<u>उपाबंध- ॥ड.</u> प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ वल्लानाडू ब्लैकबक अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: वल्लानाडू ब्लैकबक अभयारण्य, तमिलनाडु के प्रमुख स्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं.	आरएफ केयर्न नं.	अक्षांश	देशांतर
1	1	ਤ08°43'58.04"	पू077°52'18.88"
2	2	ਤ08°44'00.74"	पू077°52'23.92"
3	3	ਤ08°44'03.88"	पू077°52'29.86"
4	4	ਤ08°44'03.19"	पू077°52'33.42"
5	5	ਤ08°44'02.36"	पू077°52'37.78"
6	6	ਤ08°43'58.40"	पू077°52'44.76"
7	7	ਤ08°43'52.52"	पू077°52'53.45"
8	8	ਤ08°43'50.12"	पू077°52'56.21"
9	9	ਤ08°43'50.02"	पू077°52'59.16"
10	10	ਤ08°43'49.98"	पू077°53'02.22"
11	11	ਤ08°43'49.80"	पू077°53'05.86"
12	12	ਤ08°43'47.78"	पू077°53'06.18"

क्र.सं.	आरएफ केयर्न नं.	अक्षांश	देशांतर
13	13	ਤ08°43'44.80"	पू077°53'09.56"
14	14	ਤ08°43'40.15"	पू077°53'13.31"
15	15	ਤ08°43'36.80"	पू077°53'16.76"
16	16	ਤ08°43'27.19"	पू077°53'23.53"
17	17	ਤ08°43'21.22"	पू077°53'27.96"
18	18	ਤ08°43'13.87"	पू077°53'31.96"
19	18ए	ਤ08°43'11.53"	पू077°53'33.79"
20	19	ਤ08°42'56.98"	पू077°53'46.22"
21	20	ਤ08°42'49.39"	पू077°53'53.41"
22	21	ਤ08°42'45.47"	पू077°53'57.91"
23	22	ਤ08°42'42.26"	पू077°54'01.04"
24	23	ਤ08°42'33.95"	पू077°54'08.89"
25	24	ਤ08°42'18.96"	पू077°54'19.93"
26	25	ਤ08°42'18.43"	पू077°54'23.15"
27	26	ਤ08°42'13.72"	पू077°54'22.79"
28	27	ਤ08°42'13.75"	पू077°54'24.41"
29	28	ਤ08°42'06.91"	पू077°54'25.70"
30	29	ਤ08°42'04.61"	पू077°54'26.57"
31	30	ਤ08°41'59.35"	पू077°54'29.27"
32	31	ਤ08°41'53.95"	पू077°54'31.61"
33	32	ਤ08°41'52.87"	पू077°54'24.55"
34	33	ਤ08°41'51.83"	पू077°54'15.44"
35	34	ਤ08°41'56.94"	पू077°54'03.49"
36	35	ਤ08°42'00.90"	पू077°53'56.54"
37	36	ਤ08°42'02.38"	पू077°53'52.12"
38	37	ਤ08°42'03.24"	पू077°53'43.73"
39	38	ਤ08°42'01.44"	पू077°53'42.40"
40	39	ਤ08°41'59.39"	पू077°53'40.96"
41	40	ਤ08°41'57.80"	पू077°53'39.73"
42	41	ਤ08°41'55.25"	पू077°53'37.79"
43	42	ਤ08°41'53.23"	पू077°53'36.31"
44	43	ਤ08°41'52.87"	पू077°53'37.00"
45	43बी	ਤ08°41'42.54"	पू077°53'38.58"
46	45	ਤ08°41'42.22"	पू077°53'37.50"

क्र.सं.	आरएफ केयर्न नं.	अक्षांश	देशांतर
47	46	ਤ08°41'41.96"	पू077°53'36.67"
48	47	ਤ08°41'32.60"	पू077°53'38.87"
49	47ए	ਤ08°41'31.78"	पू077°53'43.76"
50	47बी	ਤ08°41'30.88"	पू077°53'48.23"
51	47सी	ਤ08°41'29.62"	पू077°53'52.76"
52	47डी	ਤ08°41'29.36"	पू077°53'53.70"
53	48	ਤ08°41'28.79"	पू077°53'56.36"
54	48ए	उ08°41'25.48"	पू077°53'56.40"
55	48बी	ਤ08°41'19.68"	पू077°53'56.98"
56	49	ਤ08°41'13.38"	पू077°53'58.20"
57	49ए	ਤ08°41'08.23"	पू077°53'59.64"
58	50	ਤ08°41'03.48"	पू077°53'59.03"
59	50ए	ਤ08°40'46.09"	पू077°53'56.44"
60	50बी	ਤ08°40'43.93"	पू077°53'56.11"
61	50सी	ਤ08°40'37.34"	पू077°53'55.21"
62	51	ਤ08°40'30.97"	पू077°53'55.39"
63	52	ਤ08°40'26.18"	पू077°53'55.00"
64	53	उ08°40'20.15"	पू077°53'47.30"
65	53ए	ਤ08°40'13.19"	पू077°53'44.20"
66	53बी	ਤ08°40'12.61"	पू077°53'44.95"
67	54	ਤ08°40'00.26"	पू077°53'34.26"
68	54ए	ਤ08°39'50.58"	पू077°53'33.18"
69	55	ਤ08°39'46.80"	पू077°53'32.39"
70	55ए	ਤ08°39'45.79"	पू077°53'31.38"
71	55बी	ਤ08°39'45.90"	पू077°53'26.48"
72	55सी	ਤ08°39'45.90"	पू077°53'19.86"
73	बी2	ਤ08°39'40.46"	पू077°53'19.93"
74	बी3	ਤ08°39'42.34"	पू077°53'12.05"
75	बी4	ਤ08°39'38.70"	पू077°53'13.02"
76	बी5	ਤ08°39'38.41"	पू077°53'03.16"
77	बी6	ਤ08°39'46.48"	पू077°53'01.90"
78	56बी	ਤ08°39'47.52"	पू077°52'57.76"
79	57	ਤ08°39'53.64"	पू077°52'49.98"
80	58	ਤ08°39'57.60"	पू077°52'45.52"

क्र.सं.	आरएफ केयर्न नं.	अक्षांश	देशांतर
81	58ए	ਤ08°39'59.00"	पू077°52'43.86"
82	59	ਤ08°40'05.74"	पू077°52'36.52"
83	60	ਤ08°40'08.29"	पू077°52'33.92"
84	61	ਤ08°40'13.55"	पू077°52'25.93"
85	62	ਤ08°40'14.88"	पू077°52'22.66"
86	63	ਤ08°40'15.85"	पू077°52'21.25"
87	64	ਤ08°40'11.53"	पू077°52'18.95"
88	65	ਤ08°40'12.32"	पू077°52'15.71"
89	66	ਤ08°40'14.70"	पू077°52'11.78"
90	67	ਤ08°40'10.74"	पू077°52'09.44"
91	68	ਤ08°40'14.34"	पू077°52'06.28"
92	69	ਤ08°40'17.76"	पू077°52'03.40"
93	70	ਤ08°40'20.71"	पू077°52'01.67"
94	73	ਤ08°40'22.73"	पू077°51'59.83"
95	74	ਤ08°40'28.74"	पू077°51'56.81"
96	75	ਤ08°40'29.96"	पू077°51'55.91"
97	78	ਤ08°40'35.22"	पू077°51'52.96"
98	83	ਤ08°40'43.90"	पू077°51'49.07"
99	84	ਤ08°40'46.85"	पू077°51'48.85"
100	85	ਤ08°40'49.37"	पू077°51'48.96"
101	87	ਤ08°40'54.84"	पू077°51'48.82"
102	88	ਤ08°40'56.82"	पू077°51'48.85"
103	89	ਤ08°40'58.37"	पू077°51'48.96"
104	90ए	ਤ08°41'02.51"	पू077°51'49.14"
105	91	ਤ08°41'04.63"	पू077°51'49.39"
106	92	ਤ08°41'04.49"	पू077°51'51.16"
107	93	ਤ08°41'08.38"	पू077°51'52.85"
108	94	ਤ08°41'11.36"	पू077°51'54.07"
109	95	ਤ08°41'14.35"	पू077°51'56.23"
110	96	ਤ08°41'15.36"	पू077°51'56.95"
111	97	ਤ08°41'17.41"	पू077°51'52.92"
112	98	ਤ08°41'19.68"	पू077°51'53.64"
113	99	ਤ08°41'23.82"	पू077°51'54.47"
114	100	ਤ08°41'23.78"	पू077°51'54.11"

क्र.सं.	आरएफ केयर्न नं.	अक्षांश	देशांतर
115	101	ਤ08°41'25.15"	पू077°51'54.83"
116	102	ਤ08°41'25.84"	पू077°51'55.04"
117	103	ਤ08°41'27.64"	पू077°51'56.16"
118	104	ਤ08°41'26.05"	पू077°52'00.08"
119	105	ਤ08°41'30.55"	पू077°52'01.45"
120	106	ਤ08°41'30.62"	पू077°52'03.68"
121	107	ਤ08°41'30.84"	पू077°52'06.56"
122	108	ਤ08°41'30.73"	पू077°52'09.44"
123	109	ਤ08°41'30.52"	पू077°52'10.74"
124	110	ਤ08°41'30.01"	पू077°52'12.22"
125	111	ਤ08°41'32.32"	पू077°52'13.33"
126	114	ਤ08°41'30.62"	पू077°52'22.94"
127	116	ਤ08°41'26.92"	पू077°52'23.74"
128	117	ਤ08°41'22.06"	पू077°52'24.38"
129	121	ਤ08°41'09.20"	पू077°52'42.42"
130	122	ਤ08°41'04.52"	पू077°52'49.33"
131	123	ਤ08°41'11.94"	पू077°52'51.78"
132	124	ਤ08°41'18.02"	पू077°52'52.21"
133	125	ਤ08°41'20.76"	पू077°52'51.74"
134	126	ਤ08°41'23.32"	पू077°52'51.13"
135	127	ਤ08°41'26.12"	पू077°52'50.38"
136	129	ਤ08°41'27.53"	पू077°52'39.58"
137	130	ਤ08°41'27.38"	पू077°52'38.96"
138	131	ਤ08°41'32.10"	पू077°52'37.99"
139	132	ਤ08°41'37.28"	पू077°52'37.70"
140	132ए	ਤ08°41'39.91"	पू077°52'37.38"
141	133	ਤ08°41'43.08"	पू077°52'36.77"
142	134	ਤ08°41'47.36"	पू077°52'35.98"
143	135	ਤ08°41'52.73"	पू077°52'35.40"
144	136	ਤ08°41'56.65"	पू077°52'35.04"
145	137	ਤ08°42'00.29"	पू077°52'34.93"
146	138	ਤ08°41'59.39"	पू077°52'39.32"
147	140	ਤ08°42'10.55"	पू077°52'40.15"
148	141	ਤ08°42'11.23"	पू077°52'43.93"

क्र.सं.	आरएफ केयर्न नं.	अक्षांश	देशांतर
149	142	ਤ08°42'13.28"	पू077°52'43.82"
150	143	ਤ08°42'18.72"	पू077°52'43.97"
151	144	ਤ08°42'26.42"	पू077°52'40.01"
152	145	ਤ08°42'26.60"	पू077°52'37.92"
153	146	ਤ08°42'30.85"	पू077°52'36.34"
154	147	ਤ08°42'36.22"	पू077°52'34.10"
155	148	ਤ08°42'44.17"	पू077°52'29.53"
156	149	ਤ08°42'49.25"	पू077°52'27.34"
157	150	ਤ08°42'52.96"	पू077°52'28.45"
158	151	ਤ08°42'58.36"	पू077°52'28.56"
159	152	ਤ08°43'04.84"	पू077°52'28.60"
160	153	ਤ08°43'08.26"	पू077°52'28.31"
161	154	ਤ08°43'15.74"	पू077°52'27.77"
162	155	ਤ08°43'16.57"	पू077°52'26.69"
163	156	ਤ08°43'23.05"	पू077°52'26.94"
164	157	ਤ08°43'29.68"	पू077°52'22.04"
165	158	ਤ08°43'37.27"	पू077°52'19.99"
166	159	ਤ08°43'40.48"	पू077°52'16.61"
167	160	ਤ08°43'39.72"	पू077°52'13.80"
168	161	ਤ08°43'45.62"	पू077°52'11.71"
169	162	ਤ08°43'46.60"	पू077°52'10.78"
170	163	ਤ08°43'47.53"	पू077°52'09.23"
171	164	ਤ08°43'47.75"	पू077°52'07.93"
172	165	ਤ08°43'47.93"	पू077°52'08.00"
173	166	ਤ08°43'52.18"	पू077°52'07.61"
174	167	ਤ08°43'54.77"	पू077°52'09.01"
175	167बी	ਤ08°43'56.75"	पू077°52'09.55"
176	168	ਤ08°43'56.71"	पू077°52'10.45"
177	169	ਤ08°43'56.71"	पू077°52'14.77"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख स्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं.	पारिस्थितिकी संवेदी जोन सं.	अक्षांश	देशांतर
1.	1	ਚ8°43'58.40"	पू77°52'18.46"
2.	2	ਚ8°44'2.11"	पू77°52'22.95"

क्र.सं.	पारिस्थितिकी संवेदी जोन सं.	अक्षांश	देशांतर
3.	3	ਤ8°44'4.98"	पू77°52'29.84"
4.	4	ਤ8°44'5.19"	पू77°52'34.07"
5.	5	ਤ8°44'4.20"	पू77°52'38.66"
6.	6	ਤ8°44'0.59"	पू77°52'46.32"
7.	7	ਤ8°43'57.10"	पू77°52'57.67"
8.	8	ਤ8°43'55.93"	पू77°53'0.89"
9.	9	ਤ8°43'55.62"	पू77°53'2.89"
10.	10	ਤ8°43'54.77"	पू77°53'4.86"
11.	11	ਤ8°43'54.08"	पू77°53'7.07"
12.	12	ਤ8°43'53.40"	पू77°53'9.94"
13.	13	ਤ8°43'52.08"	पू77°53'15.80"
14.	14	ਤ8°43'51.36"	पू77°53'22.00"
15.	15	ਤ8°43'49.55"	पू77°53'27.61"
16.	16	ਤ8°43'38.21"	पू77°53'35.94"
17.	17	ਤ8°43'30.47"	पू77°53'41.70"
18.	18	उ8°43'21.70"	पू77°53'46.60"
19.	18ए	ਤ8°43'17.09"	पू77°53'49.24"
20.	19	ਤ8°43'7.18"	पू77°53'59.06"
21.	20	उ8°42'59.43"	पू77°54'6.99"
22.	21	ਤ8°42'54.39"	पू77°54'11.96"
23.	22	ਤ8°42'51.38"	पू77°54'14.94"
24.	23	ਤ8°42'42.30"	पू77°54'23.09"
25.	24	ਤ8°42'30.60"	पू77°54'31.58"
26.	25	उ8°42'20.44"	पू77°54'39.61"
27.	26	ਤ8°42'15.61"	पू77°54'39.37"
28.	27	ਤ8°42'14.45"	पू77°54'40.79"
29.	28	ਤ8°42'7.66"	पू77°54'42.26"
30.	29	उ8°42'5.22"	पू77°54'42.95"
31.	30	ਤ8°42'0.20"	पू77°54'45.64"
32.	31	उ8°41'54.47"	पू77°54'48.21"

क्र.सं.	पारिस्थितिकी संवेदी जोन सं.	अक्षांश	देशांतर
33.	32	ਤ8°41'38.78"	पू77°54'32.48"
34.	33	ਤ8°41'33.61"	पू77°54'11.93"
35.	34	ਤ8°41'33.61"	पू77°54'11.93"
36.	35	ਤ 8°41'33.61"	पू77°54'11.93"
37.	36	उ8°41'33.61"	पू77°54'11.93"
38.	37	उ8°41'33.61"	पू77°54'11.93"
39.	38	उ8°41'33.61"	पू77°54'11.93"
40.	39	उ8°41'33.61"	पू77°54'11.93"
41.	40	ਤ8°41'33.61"	पू77°54'11.93"
42.	41	ਤ8°41'33.61"	पू77°54'11.93"
43.	42	उ8°41'33.61"	पू77°54'11.93"
44.	43	उ8°41'33.61"	पू77°54'11.93"
45.	43बी	उ8°41'33.61"	पू77°54'11.93"
46.	45	उ8°41'33.61"	पू77°54'11.93"
47.	46	उ8°41'33.61"	पू77°54'11.93"
48.	47	उ8°41'33.61"	पू77°54'11.93"
49.	47ए	उ8°41'33.61"	पू77°54'11.93"
50.	47बी	उ8°41'33.61"	पू77°54'11.93"
51.	47सी	उ8°41'33.61"	पू77°54'11.93"
52.	47डी	उ8°41'33.61"	पू 77°54'11.93"
53.	48	उ8°41'33.61"	पू77°54'11.93"
54.	48ए	उ08°41'26.72"	पू077°54'12.82"
55.	48बी	ਤ08°41'20.50"	पू077°54'13.67"
56.	49	ਤ08°41'13.79"	पू077°54'14.87"
57.	49ए	उ08°41'07.87"	ਧ੍ਰ077°54'16.03"
58.	50	उ08°41'01.57"	ਧ੍ਰ077°54'15.32"
59.	50ए	उ08°40'45.13"	पू077°54'12.79"
60.	50बी	उ08°40'42.61"	पू077°54'12.25"
61.	50सी	ਤ08°40'36.65"	पू077°54'11.67"
62.	51	ਤ08°40'29.92"	पू077°54'11.75"

क्र.सं.	पारिस्थितिकी संवेदी जोन सं.	अक्षांश	देशांतर
63.	52	ਤ08°40'24.88"	पू077°54'11.50"
64.	53	ਤ08°40'17.69"	पू077°54'03.38"
65.	53ए	ਤ08°40'11.46"	पू077°54'00.37"
66.	53बी	ਤ08°40'09.84"	पू077°54'01.05"
67.	54	ਤ08°39'57.38"	पू077°53'50.32"
68.	54	ਤ08°39'45.73"	पू077°53'31.64"
69.	122	ਤ8°40'20.71"	पू77°52'1.67"
70.	123	ਤ08°41'32.32"	पू077°52'13.33"
71.	124	ਤ08°41'32.32"	पू077°52'13.33"
72.	125	ਤ08°41'32.32"	पू077°52'13.33"
73.	126	ਤ08°41'32.32"	पू077°52'13.33"
74.	127	ਤ08°41'32.32"	पू077°52'13.33"
75.	129	ਤ08°41'32.32"	पू077°52'13.33"
76.	130	ਤ08°41'32.32"	पू077°52'13.33"
77.	131	ਤ08°41'32.32"	पू077°52'13.33"
78.	132	ਤ08°41'35.56"	पू077°52'21.46"
79.	132ए	ਤ08°41'38.25"	पू077°52'20.97"
80.	133	ਤ08°41'40.78"	पू077°52'20.68"
81.	134	ਤ08°41'45.77"	पू077°52'19.95"
82.	135	ਤ08°41'52.44"	पू077°52'18.93"
83.	136	ਤ08°41'58.01"	पू077°52'18.86"
84.	137	ਤ08°42'03.29"	पू077°52'18.70"
85.	138	ਤ08°42'07.47"	पू077°52'25.00"
86.	140	ਤ08°42'10.36"	पू077°52'23.18"
87.	141	ਤ08°42'10.83"	पू077°52'27.72"
88.	142	ਤ08°42'12.13"	पू077°52'27.60"
89.	143	ਤ08°42'14.75"	पू077°52'28.38"
90.	144	ਤ08°42'19.21"	पू077°52'25.60"
91.	145	ਤ08°42'21.66"	पू077°52'22.43"
92.	146	ਤ08°42'24.47"	पू077°52'21.33"

क्र.सं.	पारिस्थितिकी संवेदी जोन सं.	अक्षांश	देशांतर
93.	147	ਤ08°42'30.24"	पू077°52'18.91"
94.	148	ਤ08°42'39.28"	पू077°52'14.22"
95.	149	ਤ08°42'45.61"	पू077°52'11.34"
96.	150	ਤ08°42'50.05"	पू077°52'12.26"
97.	151	ਤ08°42'55.94"	पू077°52'12.41"
98.	152	ਤ08°43'02.31"	पू077°52'12.30"
99.	153	ਤ08°43'05.60"	पू077°52'12.19"
100.	154	ਤ08°43'12.25"	पू077°52'12.08"
101.	155	ਤ08°43'13.92"	पू077°52'10.51"
102.	156	ਤ08°43'19.12"	पू077°52'11.25"
103.	157	ਤ08°43'24.01"	पू077°52'07.04"
104.	158	ਤ08°43'27.69"	पू077°52'07.19"
105.	159	ਤ08°43'30.68"	पू077°52'03.82"
106.	160	ਤ08°43'32.47"	पू077°51'59.43"

<u>उपाबंध-IV</u> भू-निर्देशांकों के साथ वल्लानाडू ब्लैकबक अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्र की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	अक्षांश	देशांतर
1.	पदमानापामंगलम	8º38'57.72"ਤ	77º54'20.04"पू
2.	थोलाप्पान्पान्नाई	8º39'4.14"ਤ	77º53'10.98"पू
3.	मानाकारीया	8º40'32.94"ਤ	77º51'44.76"पू
4.	वल्लानाडू	8º42'59.56"ਂਤ	77º51'3.44"पू
5.	किलाव <i>ल्</i> लनाडू	8º44'9.83"ਤ	77º52'59.95"पू

उपाबंध-∨

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान:-

- 1. बैठकों की संख्या और तारीख।
- 2. बैठकों का कार्यवृत: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में संलग्न करें)।
- 3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
- 4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
- 5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
- 6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
- 8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2019

S.O. 4075(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3440(E) dated the 12th July, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 13th July, 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Vallanadu Blackbuck sanctuary is an isolated Reserved Forest in Thoothukudi District under the control of Thoothukudi Forest Division. The Sanctuary area is 16.4121 sq km or 1641.21 Ha. It is situated near Tirunelveli- Thoothukudi National Highway. This area was declared as Blackbuck sanctuary as per G.O. Ms. No. 1028 dated 28.9.1987 and published in Tamil Nadu Government Gazette on October 21st 1987, and in Thoothukudi District Gazette on 8th August 1996.

AND WHEREAS, Black buck is an endangered species and is endemic to Indian subcontinent. According to the world conservation union (IUCN) red data book, the Blackbuck is assigned VU (vulnerable) status. Vallanadu Reserved forest is the Southernmost in the subcontinent place where Blackbuck is naturally available which speaks for itself the need for their conservation to a comfortable level, as population would be genetically deficient to sustain pressures of evolution. Vast surroundings of Vallanadu Reserved Forest (hillock) is a traditional area for Blackbuck but are now pushed to the hillock. Blackbuck spends most of the time in adjacent wastelands of eastern aspect than in RF.

AND WHEREAS, Black buck which were earlier reported to be seen on western aspect have come down due to cattle pressure. Now they are seen only in eastern aspect of the Hillock and more in Northern (north-west to southeast direction) portion. RF is denser and hilly which reduces fodder availability. Surrounding wastelands are better

place for their presence as they are more open and a mix of grassy patches and few xerophytes bushes. With abandoned stone quarries acting as waterholes, the area outside reserved forest provides fodder requirement, water requirement but not hiding ground for Blackbucks. Wastelands adjacent to eastern aspect are fast dwindling as they are private holdings, near to Highway. Agriculture being non-profitable there is fast getting converted as residential plots.

AND WHEREAS, the sanctuary has variety of flora and fauna including birds, reptiles, mammals, amphibians. Some examples of flora are Velvel (Acacia leucocephala (Roxb.) Willd.), Kudaivel (Acacia planifrons Wight & Arn.), Usilai (Albizia amara (Roxb.) B.Boivin), Thaneervittan kizhangu (Asparagus racemosus Willd.), Kattu Kanagambaram (Barleria prionitis L.) etc; examples of some faunal species are Blackbuck(Indian Antilope)(Antilope cervicapra), Spotted deer(Axix-axis), Sambar(Cervus unicolor), Jackal(Canis aureus), India Fox(Vulpes bengalensis), Jungle cat(Felis chaus)etc; examples of birds include White breasted Kingfisher (Halcyon smyrnesis), Red-whiskered Bulbul (Pycnonotusjocosus), Peafowl (Pavo cristatus), Grater Coucal (Centropus sinensis), Indian Cuckoo (Cuculus micropterus), Red- vented Bulbul (Pycnonotuscafer) etc; example of reptiles include Kollegal Ground Gecko (Geckoellacollegalensi), Rock agama (Psammophilus dorsalis), Rate Snake (Elephae abslote), Cobra (Najanaja), Russels Viper (Daboia ruselli) etc.

AND WHEREAS, most of these are wasteland, small part of settlement, small part of agricultural land and remaining part is Vallanadu RF within the Eco sensitive zone. Less than 10% of area of Eco-sensitive zone is agricultural land. Small area in Eco-sensitive zone is industries of Standard Fireworks factory. Remaining all areas is waste land beyond to Eco-sensitive zone the important economy of the area is primarily agriculture.

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varying **from zero** (**northern side**, **due to NH 7A)kilometre to 2.00 kilometre** around the boundary of Vallanadu Blackbuck sanctuary in the State of Tamil Nadu as the Vallanadu Blackbuck sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

- **1. Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone. -** (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from zero (northern side, due to NH 7A) kilometer to 2.00 kilometer around the Vallanadu Blackbuck sanctuary. The area of the Eco-Sensitive Zone is 12.03 square kilometers.
- (2) The boundary description of the Eco Sensitive Zone is appended at Annexure I.
- (3) The map of the Protected Area demarcating the Eco-Sensitive Zone boundary is at **Annexure IIA-E.**
- (4)List of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-Sensitive Zone is at **Annexure III Tables (A) and (B)** respectively.
- (5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure IV**.
- **2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone. -** (1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-Sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of Final Notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this Notification for approval of Competent Authority in the State Government.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating environmental and ecological considerations into the said plan:
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Agriculture;
 - (iv) Revenue;
 - (v) Urban Development;
 - (vi) Tourism;
 - (vii) Rural Development;
 - (viii) Irrigation and Flood Control;
 - (ix) Municipal;
 - (x) Panchayati Raj;
 - (xi) Public Works Department;
 - (xii) Highways; and
 - (xiii) Tamil Nadu State Pollution Control Board.

- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- **3. Measures to be taken by State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) Land use.—(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:
 - Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:
 - (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
 - (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
 - (iii) small scale industries not causing pollution;
 - (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting ecotourism including home stay; and
 - (v) promoted activities and given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) Natural water bodies. -The catchment areas of all natural springs/rivers/channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) Tourism/ Eco-tourism.-(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;
 - (b) the Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests;
 - (c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

- (d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;
- (e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
 - (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in predefined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and ecodevelopment;
- (iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.
- (4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artifacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** The Environment Department of the State Government or Tamil Nadu State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.
- (7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made there under and amendments thereto.
- (8) **Discharge of effluents.** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made there under or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) Solid wastes. Disposal and Management of solid wastes shall be as under:
- (a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
- (b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste.** Bio-medical waste management shall be as under:
- (a) the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification Number GSR 343 (E), dated the 28th March,2016 as amended from time to time;
- (b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (11) **Plastic Waste Management**.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

- (12) **Construction and Demolition Waste Management**. The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste**. The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made there under.
- (15) **Vehicular Pollution.** Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.
- (16) **Industrial Units.** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone;
- (ii) only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of Hill Slopes:** The protection of hill slopes shall be as under:
- (a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.
- (b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone:

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) the Wildlife(Protection) Act 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activities	Description
(1)	(2)	(3)
	A. Prob	nibited activities
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals) stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities.
		(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumalpad vz. UOI in W.P. (C) No. 202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation z. UOI in W.P. (C) No. 435 of 2012.
2.	Setting of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.,).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

Sl. No.	Activities	Description	
(1)	(2)	(3)	
4.	Establishment of major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.	
5.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.	
6.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.	
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.	
	B. Reg	ulated activities	
8.	Establishment of Commercial Hotels and Resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities.	
		Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.	
9.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or up to extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:	
		(b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents.	
		Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations if any.	
		(c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.	
10.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.	
		(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.	
11.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.	
12.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.	

Sl. No.	Activities	Description	
(1)	(2)	(3)	
13.	Commercial use of firewood.	Regulated under applicable laws.	
14.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.	
15.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.	
16.	Commercial use of nature water resources including ground water harvesting.	Regulated under applicable laws.	
17.	Erection of electrical cables.	Regulated under applicable laws.	
18.	Fencing of premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.	
19.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.	
20.	Widening of roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.	
21.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.	
22.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.	
23.	Sign boards & hoardings.	Regulated under applicable laws.	
	C. Proi	moted activities	
24.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities.	Promoted under applicable laws for use of locals.	
25.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.	
26.	Organic farming.	Shall be actively promoted.	
27.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.	
28.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.	
29.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.	
30.	Plantation of Horticulture and Herbals	Shall be actively promoted.	

5. Monitoring Committee.-The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), comprising of the following namely:-

1.	District Collector, Thoothukudi	Chairman;
2.	A representative of Non-government Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by State Government	Member;
3.	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
4.	An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member;
5.	A representative from State Public Works Department	Member;
6.	A representative from State Pollution Control Board	Member;
7.	District Officer, Thoothukudi	Member Secretary.

6. Terms of Reference.—(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per Performa given in **Annexure V**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- 7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- **8.** The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/17/2018-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'


ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

North	The boundary starts from Muruganpuram village NH 7 A patta lands.	
North East	The boundary starts from Keelavallanadu village patta lands.	
East	The boundary starts from Padmabamangalam village patta lands.	
South East	The boundary starts from Padmabamangalam village patta lands.	
South	The boundary starts from Padmabamangalam village patta lands.	
South West	Vallanadu R.F.	
West	The boundary starts from Vallanadu R.F. Manakarai village patta lands.	
North West	The boundary starts from Vallaadu Kasba village patta lands.	


ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF VALLANADU BLACK BUCK SANCTUARY




ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF VALLANADU BLACK BUCK SANCTUARY




ANNEXURE-IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF VALLANADU BLACK BUCK SANCTUARY ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET




ANNEXURE- IID

LANDUSE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF VALLANADU BLACK BUCK SANCTUARY ALONG WITH 10 KM BUFFER



ANNEXURE-IIE

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF VALLANADU BLACK BUCK SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Vallanadu Black Buck Sanctuary, Tamil Nadu

S. No.	RF Cairn NO	Latitude	Longitude
1	1	N08°43'58.04"	E077°52'18.88"
2	2	N08°44'00.74"	E077°52'23.92"
3	3	N08°44'03.88"	E077°52'29.86"
4	4	N08°44'03.19"	E077°52'33.42"
5	5	N08°44'02.36"	E077°52'37.78"
6	6	N08°43'58.40"	E077°52'44.76"
7	7	N08°43'52.52"	E077°52'53.45"
8	8	N08°43'50.12"	E077°52'56.21"
9	9	N08°43'50.02"	E077°52'59.16"
10	10	N08°43'49.98"	E077°53'02.22"
11	11	N08°43'49.80"	E077°53'05.86"
12	12	N08°43'47.78"	E077°53'06.18"
13	13	N08°43'44.80"	E077°53'09.56"
14	14	N08°43'40.15"	E077°53'13.31"
15	15	N08°43'36.80"	E077°53'16.76"
16	16	N08°43'27.19"	E077°53'23.53"
17	17	N08°43'21.22"	E077°53'27.96"
18	18	N08°43'13.87"	E077°53'31.96"

S. No.	RF Cairn NO	Latitude	Longitude
19	18A	N08°43'11.53"	E077°53'33.79"
20	19	N08°42'56.98"	E077°53'46.22"
21	20	N08°42'49.39"	E077°53'53.41"
22	21	N08°42'45.47"	E077°53'57.91"
23	22	N08°42'42.26"	E077°54'01.04"
24	23	N08°42'33.95"	E077°54'08.89"
25	24	N08°42'18.96"	E077°54'19.93"
26	25	N08°42'18.43"	E077°54'23.15"
27	26	N08°42'13.72"	E077°54'22.79"
28	27	N08°42'13.75"	E077°54'24.41"
29	28	N08°42'06.91"	E077°54'25.70"
30	29	N08°42'04.61"	E077°54'26.57"
31	30	N08°41'59.35"	E077°54'29.27"
32	31	N08°41'53.95"	E077°54'31.61"
33	32	N08°41'52.87"	E077°54'24.55"
34	33	N08°41'51.83"	E077°54'15.44"
35	34	N08°41'56.94"	E077°54'03.49"
36	35	N08°42'00.90"	E077°53'56.54"
37	36	N08°42'02.38"	E077°53'52.12"
38	37	N08°42'03.24"	E077°53'43.73"
39	38	N08°42'01.44"	E077°53'42.40"
40	39	N08°41'59.39"	E077°53'40.96"
41	40	N08°41'57.80"	E077°53'39.73"
42	41	N08°41'55.25"	E077°53'37.79"
43	42	N08°41'53.23"	E077°53'36.31"
44	43	N08°41'52.87"	E077°53'37.00"
45	43B	N08°41'42.54"	E077°53'38.58"
46	45	N08°41'42.22"	E077°53'37.50"
47	46	N08°41'41.96"	E077°53'36.67"
48	47	N08°41'32.60"	E077°53'38.87"
49	47A	N08°41'31.78"	E077°53'43.76"
50	47B	N08°41'30.88"	E077°53'48.23"
51	47C	N08°41'29.62"	E077°53'52.76"
52	47D	N08°41'29.36"	E077°53'53.70"
53	48	N08°41'28.79"	E077°53'56.36"
54	48A	N08°41'25.48"	E077°53'56.40"
55	48B	N08°41'19.68"	E077°53'56.98"
56	49	N08°41'13.38"	E077°53'58.20"
57	49A	N08°41'08.23"	E077°53'59.64"
58	50	N08°41'03.48"	E077°53'59.03"
59	50A	N08°40'46.09"	E077°53'56.44"
60	50B	N08°40'43.93"	E077°53'56.11"
61	50C	N08°40'37.34"	E077°53'55.21"
62	51	N08°40'30.97"	E077°53'55.39"

S. No.	RF Cairn NO	Latitude	Longitude
63	52	N08°40'26.18"	E077°53'55.00"
64	53	N08°40'20.15"	E077°53'47.30"
65	53A	N08°40'13.19"	E077°53'44.20"
66	53B	N08°40'12.61"	E077°53'44.95"
67	54	N08°40'00.26"	E077°53'34.26"
68	54A	N08°39'50.58"	E077°53'33.18"
69	55	N08°39'46.80"	E077°53'32.39"
70	55A	N08°39'45.79"	E077°53'31.38"
71	55B	N08°39'45.90"	E077°53'26.48"
72	55C	N08°39'45.90"	E077°53'19.86"
73	B2	N08°39'40.46"	E077°53'19.93"
74	В3	N08°39'42.34"	E077°53'12.05"
75	B4	N08°39'38.70"	E077°53'13.02"
76	B5	N08°39'38.41"	E077°53'03.16"
77	В6	N08°39'46.48"	E077°53'01.90"
78	56B	N08°39'47.52"	E077°52'57.76"
79	57	N08°39'53.64"	E077°52'49.98"
80	58	N08°39'57.60"	E077°52'45.52"
81	58A	N08°39'59.00"	E077°52'43.86"
82	59	N08°40'05.74"	E077°52'36.52"
83	60	N08°40'08.29"	E077°52'33.92"
84	61	N08°40'13.55"	E077°52'25.93"
85	62	N08°40'14.88"	E077°52'22.66"
86	63	N08°40'15.85"	E077°52'21.25"
87	64	N08°40'11.53"	E077°52'18.95"
88	65	N08°40'12.32"	E077°52'15.71"
89	66	N08°40'14.70"	E077°52'11.78"
90	67	N08°40'10.74"	E077°52'09.44"
91	68	N08°40'14.34"	E077°52'06.28"
92	69	N08°40'17.76"	E077°52'03.40"
93	70	N08°40'20.71"	E077°52'01.67"
94	73	N08°40'22.73"	E077°51'59.83"
95	74	N08°40'28.74"	E077°51'56.81"
96	75	N08°40'29.96"	E077°51'55.91"
97	78	N08°40'35.22"	E077°51'52.96"
98	83	N08°40'43.90"	E077°51'49.07"
99	84	N08°40'46.85"	E077°51'48.85"
100	85	N08°40'49.37"	E077°51'48.96"
101	87	N08°40'54.84"	E077°51'48.82"
102	88	N08°40'56.82"	E077°51'48.85"
103	89	N08°40'58.37"	E077°51'48.96"
104	90A	N08°41'02.51"	E077°51'49.14"
105	91	N08°41'04.63"	E077°51'49.39"
106	92	N08°41'04.49"	E077°51'51.16"

S. No.	RF Cairn NO	Latitude	Longitude
107	93	N08°41'08.38"	E077°51'52.85"
108	94	N08°41'11.36"	E077°51'54.07"
109	95	N08°41'14.35"	E077°51'56.23"
110	96	N08°41'15.36"	E077°51'56.95"
111	97	N08°41'17.41"	E077°51'52.92"
112	98	N08°41'19.68"	E077°51'53.64"
113	99	N08°41'23.82"	E077°51'54.47"
114	100	N08°41'23.78"	E077°51'54.11"
115	101	N08°41'25.15"	E077°51'54.83"
116	102	N08°41'25.84"	E077°51'55.04"
117	103	N08°41'27.64"	E077°51'56.16"
118	104	N08°41'26.05"	E077°52'00.08"
119	105	N08°41'30.55"	E077°52'01.45"
120	106	N08°41'30.62"	E077°52'03.68"
121	107	N08°41'30.84"	E077°52'06.56"
122	108	N08°41'30.73"	E077°52'09.44"
123	109	N08°41'30.52"	E077°52'10.74"
124	110	N08°41'30.01"	E077°52'12.22"
125	111	N08°41'32.32"	E077°52'13.33"
126	114	N08°41'30.62"	E077°52'22.94"
127	116	N08°41'26.92"	E077°52'23.74"
128	117	N08°41'22.06"	E077°52'24.38"
129	121	N08°41'09.20"	E077°52'42.42"
130	122	N08°41'04.52"	E077°52'49.33"
131	123	N08°41'11.94"	E077°52'51.78"
132	124	N08°41'18.02"	E077°52'52.21"
133	125	N08°41'20.76"	E077°52'51.74"
134	126	N08°41'23.32"	E077°52'51.13"
135	127	N08°41'26.12"	E077°52'50.38"
136	129	N08°41'27.53"	E077°52'39.58"
137	130	N08°41'27.38"	E077°52'38.96"
138	131	N08°41'32.10"	E077°52'37.99"
139	132	N08°41'37.28"	E077°52'37.70"
140	132A	N08°41'39.91"	E077°52'37.38"
141	133	N08°41'43.08"	E077°52'36.77"
142	134	N08°41'47.36"	E077°52'35.98"
143	135	N08°41'52.73"	E077°52'35.40"
144	136	N08°41'56.65"	E077°52'35.04"
145	137	N08°42'00.29"	E077°52'34.93"
146	138	N08°41'59.39"	E077°52'39.32"
147	140	N08°42'10.55"	E077°52'40.15"
148	141	N08°42'11.23"	E077°52'43.93"
149	142	N08°42'13.28"	E077°52'43.82"
150	143	N08°42'18.72"	E077°52'43.97"

S. No.	RF Cairn NO	Latitude	Longitude
151	144	N08°42'26.42"	E077°52'40.01"
152	145	N08°42'26.60"	E077°52'37.92"
153	146	N08°42'30.85"	E077°52'36.34"
154	147	N08°42'36.22"	E077°52'34.10"
155	148	N08°42'44.17"	E077°52'29.53"
156	149	N08°42'49.25"	E077°52'27.34"
157	150	N08°42'52.96"	E077°52'28.45"
158	151	N08°42'58.36"	E077°52'28.56"
159	152	N08°43'04.84"	E077°52'28.60"
160	153	N08°43'08.26"	E077°52'28.31"
161	154	N08°43'15.74"	E077°52'27.77"
162	155	N08°43'16.57"	E077°52'26.69"
163	156	N08°43'23.05"	E077°52'26.94"
164	157	N08°43'29.68"	E077°52'22.04"
165	158	N08°43'37.27"	E077°52'19.99"
166	159	N08°43'40.48"	E077°52'16.61"
167	160	N08°43'39.72"	E077°52'13.80"
168	161	N08°43'45.62"	E077°52'11.71"
169	162	N08°43'46.60"	E077°52'10.78"
170	163	N08°43'47.53"	E077°52'09.23"
171	164	N08°43'47.75"	E077°52'07.93"
172	165	N08°43'47.93"	E077°52'08.00"
173	166	N08°43'52.18"	E077°52'07.61"
174	167	N08°43'54.77"	E077°52'09.01"
175	167B	N08°43'56.75"	E077°52'09.55"
176	168	N08°43'56.71"	E077°52'10.45"
177	169	N08°43'56.71"	E077°52'14.77"

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone

S. No.	ESZ No	Latitude	Longitude
1.	1	N8°43'58.40"	E77°52'18.46"
2.	2	N8°44'2.11"	E77°52'22.95"
3.	3	N8°44'4.98"	E77°52'29.84"
4.	4	N8°44'5.19"	E77°52'34.07"
5.	5	N8°44'4.20"	E77°52'38.66"
6.	6	N8°44'0.59"	E77°52'46.32"
7.	7	N8°43'57.10"	E77°52'57.67"
8.	8	N8°43'55.93"	E77°53'0.89"
9.	9	N8°43'55.62"	E77°53'2.89"
10.	10	N8°43'54.77"	E77°53'4.86"
11.	11	N8°43'54.08"	E77°53'7.07"
12.	12	N8°43'53.40"	E77°53'9.94"
13.	13	N8°43'52.08"	E77°53'15.80"
14.	14	N8°43'51.36"	E77°53'22.00"

S. No.	ESZ No	Latitude	Longitude
15.	15	N8°43'49.55"	E77°53'27.61"
16.	16	N8°43'38.21"	E77°53'35.94"
17.	17	N8°43'30.47"	E77°53'41.70"
18.	18	N8°43'21.70"	E77°53'46.60"
19.	18A	N8°43'17.09"	E77°53'49.24"
20.	19	N8°43'7.18"	E77°53'59.06"
21.	20	N8°42'59.43"	E77°54'6.99"
22.	21	N8°42'54.39"	E77°54'11.96"
23.	22	N8°42'51.38"	E77°54'14.94"
24.	23	N8°42'42.30"	E77°54'23.09"
25.	24	N8°42'30.60"	E77°54'31.58"
26.	25	N8°42'20.44"	E77°54'39.61"
27.	26	N8°42'15.61"	E77°54'39.37"
28.	27	N8°42'14.45"	E77°54'40.79"
29.	28	N8°42'7.66"	E77°54'42.26"
30.	29	N8°42'5.22"	E77°54'42.95"
31.	30	N8°42'0.20"	E77°54'45.64"
32.	31	N8°41'54.47"	E77°54'48.21"
33.	32	N8°41'38.78"	E77°54'32.48"
34.	33	N8°41'33.61"	E77°54'11.93"
35.	34	N8°41'33.61"	E77°54'11.93"
36.	35	N 8°41'33.61"	E77°54'11.93"
37.	36	N8°41'33.61"	E77°54'11.93"
38.	37	N8°41'33.61"	E77°54'11.93"
39.	38	N8°41'33.61"	E77°54'11.93"
40.	39	N8°41'33.61"	E77°54'11.93"
41.	40	N8°41'33.61"	E77°54'11.93"
42.	41	N8°41'33.61"	E77°54'11.93"
43.	42	N8°41'33.61"	E77°54'11.93"
44.	43	N8°41'33.61"	E77°54'11.93"
45.	43B	N8°41'33.61"	E77°54'11.93"
46.	45	N8°41'33.61"	E77°54'11.93"
47.	46	N8°41'33.61"	E77°54'11.93"
48.	47	N8°41'33.61"	E77°54'11.93"
49.	47A	N8°41'33.61"	E77°54'11.93"
50.	47B	N8°41'33.61"	E77°54'11.93"
51.	47C	N8°41'33.61"	E77°54'11.93"
52.	47D	N8°41'33.61"	E 77°54'11.93"
53.	48	N8°41'33.61"	E77°54'11.93"
54.	48A	N08°41'26.72"	E077°54'12.82"
55.	48B	N08°41'20.72	E077 5412.82 E077°54'13.67"
56.	40B 49	N08°41'13.79"	E077°54'14.87"
57.		N08°41'07.87"	
58.	49A 50	N08°41'07.87"	E077°54'16.03" E077°54'15.32"

S. No.	ESZ No	Latitude	Longitude
59.	50A	N08°40'45.13"	E077°54'12.79"
60.	50B	N08°40'42.61"	E077°54'12.25"
61.	50C	N08°40'36.65"	E077°54'11.67"
62.	51	N08°40'29.92"	E077°54'11.75"
63.	52	N08°40'24.88"	E077°54'11.50"
64.	53	N08°40'17.69"	E077°54'03.38"
65.	53A	N08°40'11.46"	E077°54'00.37"
66.	53B	N08°40'09.84"	E077°54'01.05"
67.	54	N08°39'57.38"	E077°53'50.32"
68.	54	N08°39'45.73"	E077°53'31.64"
69.	122	N8°40'20.71"	E77°52'1.67"
70.	123	N08°41'32.32"	E077°52'13.33"
71.	124	N08°41'32.32"	E077°52'13.33"
72.	125	N08°41'32.32"	E077°52'13.33"
73.	126	N08°41'32.32"	E077°52'13.33"
74.	127	N08°41'32.32"	E077°52'13.33"
75.	129	N08°41'32.32"	E077°52'13.33"
76.	130	N08°41'32.32"	E077°52'13.33"
77.	131	N08°41'32.32"	E077°52'13.33"
78.	132	N08°41'35.56"	E077°52'21.46"
79.	132A	N08°41'38.25"	E077°52'20.97"
80.	133	N08°41'40.78"	E077°52'20.68"
81.	134	N08°41'45.77"	E077°52'19.95"
82.	135	N08°41'52.44"	E077°52'18.93"
83.	136	N08°41'58.01"	E077°52'18.86"
84.	137	N08°42'03.29"	E077°52'18.70"
85.	138	N08°42'07.47"	E077°52'25.00"
86.	140	N08°42'10.36"	E077°52'23.18"
87.	141	N08°42'10.83"	E077°52'27.72"
88.	142	N08°42'12.13"	E077°52'27.60"
89.	143	N08°42'14.75"	E077°52'28.38"
90	144	N08°42'19.21"	E077°52'25.60"
91.	145	N08°42'21.66"	E077°52'22.43"
92.	146	N08°42'24.47"	E077°52'21.33"
93.	147	N08°42'30.24"	E077°52'18.91"
94.	148	N08°42'39.28"	E077°52'14.22"
95.	149	N08°42'45.61"	E077°52'11.34"
96.	150	N08°42'50.05"	E077°52'12.26"
97.	151	N08°42'55.94"	E077°52'12.41"
98.	152	N08°43'02.31"	E077°52'12.30"
99.	153	N08°43'05.60"	E077°52'12.19"
100.	154	N08°43'12.25"	E077°52'12.08"
101.	155	N08°43'13.92"	E077°52'10.51"
102.	156	N08°43'19.12"	E077°52'11.25"

S. No.	ESZ No	Latitude	Longitude
103.	157	N08°43'24.01"	E077°52'07.04"
104.	158	N08°43'27.69"	E077°52'07.19"
105.	159	N08°43'30.68"	E077°52'03.82"
106.	160	N08°43'32.47"	E077°51'59.43"

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF VALLANADU BLACK BUCK SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

S.No.	Name of Villages	Latitude	Longitude
1.	Padmanapamangalam	8 ⁰ 38'57.72"N	77 ⁰ 54'20.04"E
	The second secon	002014 14771	77052110 0000
2.	Tholappanpannai	8 ⁰ 39'4.14"N	77 ⁰ 53'10.98"E
3.	Manakarai	8 ⁰ 40'32.94"N	77 ⁰ 51'44.76"E
3.	ivialiakarar	8 40 32.94 1	77 31 44.70 E
4.	Vallanadu	8 ⁰ 42'59.56"N	77 ⁰ 51'3.44"E
5.	Keelavallanadu	8 ⁰ 44'9.83"N	77 ⁰ 52'59.95"E

ANNEXURE-V

Performa of Action Taken Report: -

- 1. Number and date of Meetings:
- 2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure
- 3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
- 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
- 5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
- 6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
- 7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.